

न्यूज़ ब्रीफ

**युकां चुनाव: फर्जी वोटिंग का आरोप टिकरिहा ने जांच करने की मांग की**

**रायपुर** | भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने मुंगेली में युवा कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव में फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश से दो युवतियों और सात युवकों को बुलाकर सक्रित हाउस में ठहराया गया और उनसे कथित तौर पर फर्जी वोटिंग कराई गई। टिकरिहा ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों की ओर से सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराना मामले की गंभीरता बताता है। उन्होंने मुंगेली पुलिस और प्रशासन से सक्रित हाउस आवंटन, बाहरी लोगों की पहचान और चुनाव में उनके इस्तेमाल की निष्पक्ष जांच की मांग की। टिकरिहा ने रायपुर उत्तर युवा कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव पद के प्रत्याशी पलाश मल्होत्रा की शराब बिक्री मामले में गिरफ्तारी का भी उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

**छत्तीसगढ़-पंजाब के बाद अब असम में कांग्रेस को तोड़ेंगे भूपेश : भाजपा**

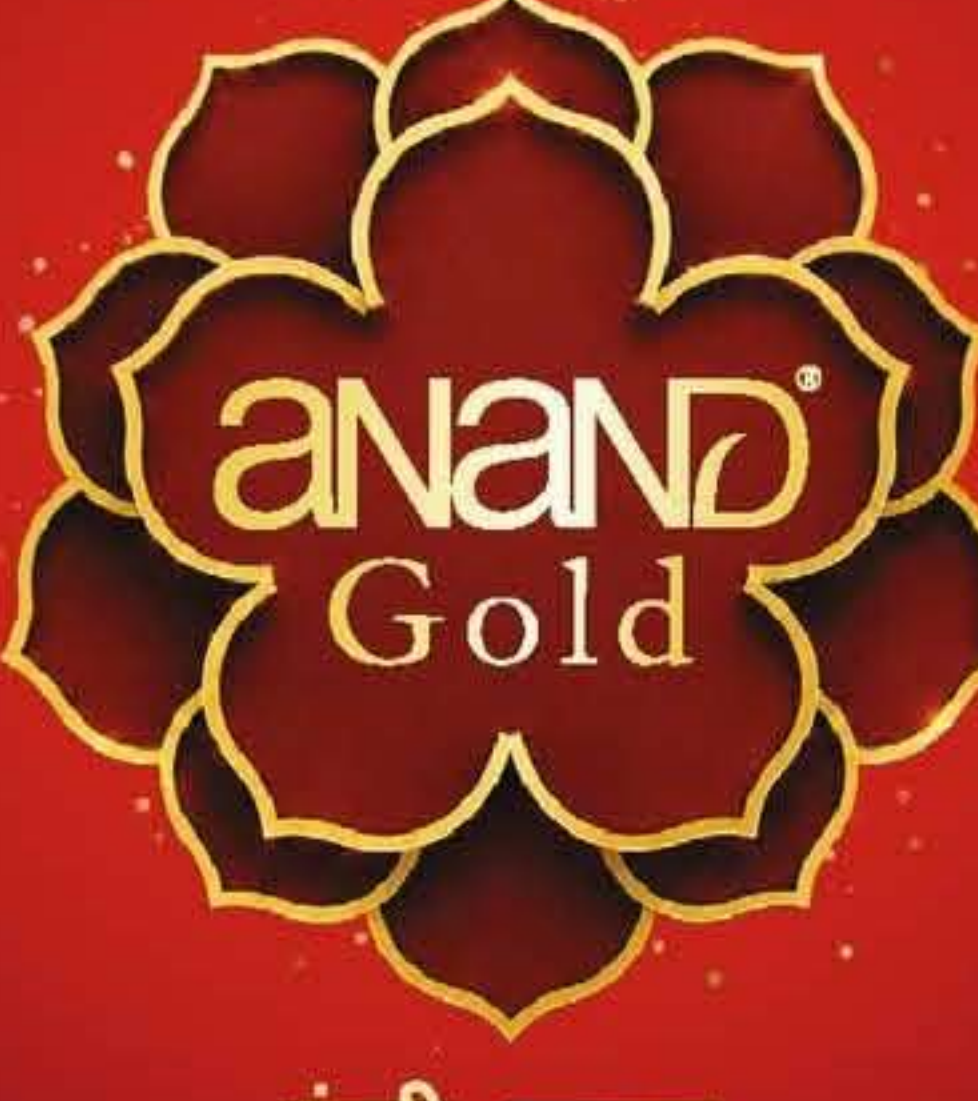
**रायपुर** | भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडेय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ और पंजाब के बाद अब उनका अगला लक्ष्य असम में कांग्रेस के भीतर फूट डालना है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश के नेतृत्व को नकारा है। पंजाब में उनके विरोध में 'भूपेश बघेल वापस जाओ' के पोस्टर लगाए गए थे। पांडेय ने कहा कि भूपेश बघेल को जिन राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां दी गईं, वहां कांग्रेस को हर का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि बघेल ने छत्तीसगढ़ में अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की और अब वही कार्यकर्ता उन्हें नकार रहे हैं। पांडेय ने कहा कि बघेल को कांग्रेस से इस्तीफा दे देना चाहिए।

**फेडरेशन की बैठक आज, आगामी आंदोलन की तय होगी रणनीति**

**रायपुर** | छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की महत्वपूर्ण बैठक 6 सितंबर को दोपहर 1 बजे प्रांतीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ, स्वास्थ्य मंत्री निवास परिसर, शंकर नगर में होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि बैठक में कर्मचारियों-अधिकारियों से जुड़े ज्वलंत और लंबित मुद्दों पर चर्चा के साथ आगामी आंदोलन की रणनीति, रूपरेखा और कार्ययोजना तय की जाएगी। संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने से जुड़े विषयों पर भी विचार होगा। फेडरेशन ने संबद्ध संगठनों के प्रांत अध्यक्षों की अनिवार्य उपस्थिति का आग्रह किया है। अनुपस्थिति की स्थिति में महामंत्री को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भेजने कहा गया है। संभाग प्रभारी और जिला संयोजक भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में लिए गए कर्मचारी हित एवं संगठन संबंधी निर्णय सभी संबद्ध संगठनों के लिए बाध्यकारी होंगे।

**सात सूत्री मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी का सात को धरना**

**रायपुर** | आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ 13 सितंबर को सुबह 11 बजे नलघर चौक, प्रेस क्लब के पास धरना-प्रदर्शन करेगी। प्रदेश प्रभारी एवं दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधायक मुकेश अहलावत के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन में बदहाल शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब सड़कें, किसानों के मुद्दे, बिजली बिल, बढ़ता अवैध नशे का कारोबार तथा चाकूबाजी-हत्याओं को लेकर 7 सूत्रीय मांगों उठाई जाएंगी। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आप के मुताबिक प्रदेश की भाजपा सरकार हर क्षेत्र में विफल है और घोषणाओं व प्रचार पर खर्च कर रही है, जबकि विकास कार्यों और कर्मचारियों के वेतन के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। प्रदर्शन में प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं से कार्यकर्ता शामिल होंगे।



**एक और नई शुरुआत... जल्द ही**

**पंडरी, रायपुर**



**दुर्ग संभाग के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण**

रायपुर। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस ने दुर्ग संभाग के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और जिला मास्टर ट्रेनरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और एआईसीसी के सह प्रभारी सचिव एस. संपत व विजय जांगिड़ मौजूद रहे। प्रशिक्षण में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका प्रभावी बनाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने आदि विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। पहले दिन टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, प्रशिक्षण प्रभारी युगल पांडे और कांग्रेस कनेक्ट सेंटर के को-चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी ने अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

**संघ ने नर्सों को प्रमोट करने की रखी मांग**

**रायपुर** | स्वास्थ्य विभाग में डिमास्ट्रेटर के पद पर सविदा नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच स्वास्थ्य कर्मचारी नर्स ने एमएससी क्लियर करने वाली नर्सों को प्रमोट करने की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को ज्ञापन सौंपकर इस दिशा में मंथन करने का आग्रह किया गया है। संघ की ओर से तर्क दिया गया है कि नर्सों को उच्च शिक्षा के लिए बाकायदा अवकाश दिया जाता है। राज्य में अभी करीब 100 से ज्यादा नर्सों ने एमएससी क्लियर कर लिया है। नर्सिंग कॉलेजों में डिमास्ट्रेटर के पद के लिए एमएससी ही योग्यता का मापदंड है। ऐसे में सविदा नियुक्ति देने की बजाय नर्सों को प्रमोट किया जा सकता है। इससे शासन पर अतिरिक्त बजट का भार भी नहीं पड़ेगा। अभी डिमास्ट्रेटर 55 पद खाली हैं। ऐसे में वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने में दिक्कत नहीं होगी।

3 माह में 2 ट्रक पकड़ाए, 112 स्पीसीज के जर्म प्लॉज्म लैब में सुरक्षित रखने वैज्ञानिक पहुंचे

वन औषधियों पर माफिया का डाका ट्रकों में भरकर ले जा रहे राज्य के बाहर

**भास्कर एक्सक्लूसिव**

मोहम्मद निजाम | रायपुर

छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के भीतर एक गंभीर पर्यावरणीय अपराध फल-फूल रहा है। आयुर्वेद की रीढ़ माने जाने वाली दुर्लभ वनौषधियां संगठित माफिया के निशाने पर हैं। अंधेरे में ट्रकों में भरकर इन अमूल्य जड़ी-बूटियों को दूसरे राज्यों में तस्करी किया जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि राज्य की 112 अलग-अलग वनौषधि स्पीशीज का प्राकृतिक वजुद पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, जिनमें से 50 से अधिक ऐसी हैं जिनका उपयोग गंभीर बीमारियों की जीवनरक्षक दवाइयां बनाने में होता है।

इस बड़े संकट का खुलासा तब हुआ जब बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (बीएसआई) के वैज्ञानिकों ने मैदानी सर्वे किया। उसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हुआ। पिछले तीन माह में दो ट्रक वनौषधि पकड़ी जा चुकी है। बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संकट में पड़ी वनौषधियों का जर्मलाज सुरक्षित करने का निर्णय लिया। पिछले हफ्ते वैज्ञानिकों की टीम पहुंची और एक दर्जन स्पीशीज का जर्मलाज कलेक्ट किया गया है। अब इसे कोलकाता स्थित बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सुरक्षित रखा जाएगा। इस बीच वन विभाग ने वनौषधि के तस्करो को पकड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी है। जंगलों से वनौषधियां खत्म होने के पीछे सबसे बड़ा खतरा उनका इस तरह निकाला जाना है कि पौधे के दोबारा पनपने की संभावना ही खत्म हो जा रही है। इनपुट मिला है कि माफिया अपने फायदे के लिए कई गांवों के ग्रामीणों को लालच में फंसा रहे हैं। उनसे पौधे और उनकी जड़ें उखड़वा रहे हैं।

झीरम: कांग्रेस ने कहा- आधा-अधूरा न्याय भाजपा बोली- एनआईए जांच पर मुहर लगी

**भास्कर न्यूज़** | रायपुर. झीरम घाटी हत्याकांड में एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद 13 साल पुराना राजनीतिक विवाद फिर गरमा गया है। कांग्रेस ने 10 आरोपियों को दोषी

**कांग्रेस ने उठाए सवाल, बैज ने कहा- पूरी साजिश अभी सामने नहीं आई**

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस अदालत के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन झीरम हमले की पूरी साजिश अभी सामने नहीं आई है। उन्होंने सवाल किया कि जब एनआईए ने करीब 200 नक्सलियों के घटना में शामिल होने और 39 लोगों के नामजद होने की बात कही थी, तो दो केवल 10 लोगों पर ही क्यों सिद्ध हुआ। बैज ने आरोप लगाया कि जांच में राजनीतिक षड्यंत्र के पहलू को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने परिवर्तन यात्रा की सुरुआ हटाने, यात्रा का मार्ग बदले जाने और हमले की योजना बनाने वालों की पहचान को लेकर भी सवाल उठाए। शुरुआती एफआईआर में गणपति और रमन्ना जैसे बड़े नक्सली नेताओं के नाम थे, लेकिन बाद की चार्जशीट से ये नाम हटा दिए गए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि आईबी अलर्ट और काफिले की सूचना के बावजूद संवेदनशील रूट से सुरक्षा बल क्यों हटाए गए, इसकी जांच जरूरी है।



उठाए जाने के फैसले को “आधा-अधूरा न्याय” बताते हुए हमले के पीछे की कथित राजनीतिक साजिश की जांच नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा ने अदालत

**भाजपा का पलटवार, शर्मा ने कहा- न्यायिक फैसले पर सवाल न उठाएं**

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत का फैसला आया है, जिससे एनआईए की फोहर और निष्पक्ष जांच सही साबित हुई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि घटना के तत्काल बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने महज दो दिन में जांच एनआईए को सौंप दी थी। इससे सरकार की पारदर्शिता और मामले की गंभीरता स्पष्ट होती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि 101 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर 10 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। यह फैसला झीरम हमले में मारे गए नेताओं, सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों के परिवारों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जब से पंचवीं निकालकर झीरम मामले के सबूत होने का दावा करते थे। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद एनआईए की जांच पर सवाल उठाने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए।



**प्रधान कार्यालय :** एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013  
**क्षेत्रीय कार्यालय :** एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, बी-विंग चौथी मंजिल, डॉन मिल्स कंपाउंड, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013

**अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना**

**ईएमडी एवं दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि: नीचे दी गई तालिका में बताई गई है**

सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (नंबर 54 का 2002) के तहत बैंक के पास गिरी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री जबकि, **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी ने सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस और **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर, छत्तीसगढ़** के आदेश के अनुसार, माल जमादार, **तहसीलदार कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़**, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 के साथ दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित लोन खातों में निम्नलिखित संपत्ति / संपत्तियों पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है, और उसे **‘जैसा है, जहाँ है, जैसा है वैसा ही, जो कुछ भी है और बिना किसी शर्त के’** आधार पर बेचने का अधिकार है, ताकि बैंक के बकाया और ब्याज की वसूली की जा सके, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, और जबकि बकाया चुकाने में विफलता के कारण, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 के साथ दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, उक्त संपत्ति / संपत्तियों को बेचकर बैंक के बकाया की वसूली करने का प्रस्ताव दिया है। बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट पर दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

**अचल संपत्तियों का विवरण**

| शाखा एवं खाता का नाम                                                                                                       | संपत्ति के बंधकर्ता एवं जमानतदारों के नाम                      | सभी बंधक संपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मांग सूचना के अनुसार राशि<br>मांग सूचना दिनांक                                                                                                                 | निरिक्षण की तिथि एवं समय                                  | आरक्षित मूल्य<br>ईएमडी<br>बोली बढ़ाने की राशि                               | ई-नीलामी की तिथि/समय                                                                     | बोली प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>एचडीएफसी बैंक लि. एवं खाता मेसर्स ए सी स्टील्स</b>                                                                      | <b>श्री राजेन्द्र सुराना</b><br><br><b>मेसर्स ए सी स्टील्स</b> | डायवर्टेड इंडस्ट्रीयल भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.542 हेक्टेयर, जो खसरा नंबर 113/4, वार्ड नंबर 19, माधवराव सग्रे वार्ड, पटवारी हल्का नंबर 108/38/40, उरकगु, आरआईसी रायपुर 1, तहसील एवं जिला रायपुर में स्थित।<br><br>102980 वर्ग फीट का लीजहोल्ड औद्योगिक भूखंड और उस पर बनी इमारत, साथ ही फर्म की सभी स्थायी संपत्तियाँ, प्लांट एवं मशीनरी और समस्त चालू संपत्तियाँ, जिनमें अन्य चीजों के अलावा, कच्चे माल का स्टॉक, निर्माणाधीन कार्य, तैयार माल, प्राप्तिर्ग, बही-खाते और अन्य चालू संपत्तियाँ शामिल हैं, जो प्लांट नं. 69, प्लांट नं. 70 और प्लांट नं. 71 एवं 72 पर स्थित बिलांब औद्योगिक क्षेत्र, उर्ला, आरआईसी रायपुर 1, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ | <b>रु. 25,27,36,354/-</b><br>31-05-2024 तक की बकाया रकम, साथ ही 01.06.2024 से पूर्व एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक कैंश क्रेडिट एवं लोन अकाउंट्स पर अतिरिक्त सहित | <b>30/09/2026</b><br><br>सुबह 10:00 बजे दोप. 02:00 बजे तक | <b>Rs. 4,08,00,000/-</b><br><b>Rs. 40,80,000/-</b><br><b>Rs. 1,00,000/-</b> | <b>15/10/2026</b> प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 5 मिनट के अनलिमिटेड एक्सटेंशन के साथ | <b>12/10/2026</b><br><br>सायं 4:00 बजे तक |
| <b>जमानतदार</b><br>1. श्री राजेन्द्र सुराना,<br>2. श्री राहुल सुराना,<br>3. श्री श्रेयांश सुराना,<br>4. श्रीमती संतोष देवी |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>मांग सूचना दिनांक 05-06-2024</b>                                                                                                                            |                                                           | <b>Rs.11,17,00,000/-</b><br><b>Rs.1,11,70,000/-</b><br><b>Rs.1,00,000/-</b> | <b>15/10/2026</b> दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 5 मिनट के अनलिमिटेड एक्सटेंशन के साथ   |                                           |

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर" आयोजित की जा रही है।
- इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड <https://www.bankeauctions.com> पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : **57500000904261**, खाता का नाम : **DFSO Transitory account**, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., **आईएफएससी कोड : HDFC0000240** में एनईएफटी /आरटीजीएफ द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक / डिमांड ड्राफ्ट ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर बैंकों के रिकॉर्ड के अनुसार विस्तृत नियमों व शर्तों में उल्लिखित एक को छोड़कर, कोई भी मार अर्थात् संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि जैसी कोई वैधानिक बकाया राशि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/बकाया करों/मुकदमाबाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथि एवं समय में ही किया जा सकता है।**
- ईएमडी जमा किए जाने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें लांगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग्य अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, गुडगांव, हरियाणा – 122003, हेल्पलाईन नं. **7291981124/25/26, श्री भाविक पंडया, मोबाईल : 8866682937**, हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : [support@bankeauctions.com](mailto:support@bankeauctions.com) से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए आप अधिकृत अधिकारी **सुश्री प्रियंका कपाड़िया (मो. नंबर 9820530390** ईमेल ID - **Priyanka.kapadia@hdfc.bank.in**) एवं आशीष रावत मोबा. नं. **9981126266** एवं ईमेल आईडी: **Ashish.rawal9@hdfc.bank.in** संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय अवधि (प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों को संपर्क करें।
- उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों / बोलियों को स्वीकार /निरस्त करने का अधिकार है। उसका निर्णय अंतिम तथा न्याय्य होगा।

(विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.hdfcbank.com](http://www.hdfcbank.com) तथा [www.bankeauctions.com](http://www.bankeauctions.com) देखें)

सरफेरी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) सहपरित नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों/बंधकर्ता/जमानतदारों को ऊपर लिखी गई तिथि ई-नीलामी करने की सूचना के रूप में भी समझा जाएगा।

दिनांक : 05 सितम्बर 2026

स्थान : रायपुर

एआई हमारा सहायक बने नियंत्रक नहीं : राज्यपाल



भास्कर न्यूज़ | रायपुर

शिक्षक दिवस पर लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम् में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश के 63 उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार और चार शिक्षकों को राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार दिए गए। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने वर्ष 2026-27 के राज्य शिक्षक सम्मान के लिए चयनित 64 शिक्षकों के नामों की घोषणा की।

मुख्य अतिथि राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में शिक्षकों और विद्यार्थियों का नई तकनीक से परिचित होना जरूरी है, लेकिन इसका विवेकपूर्ण और मानवीय मूल्यों के अनुरूप उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। AI हमारा सहायक बने, नियंत्रक नहीं। उन्होंने कहा कि तकनीक जानकारी दे सकती है, लेकिन संस्कार, संवेदना, अनुशासन और जीवन की सही दिशा

**18 हजार युवाओं को ट्रेनिंग, 9 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू**

**रायपुर** | छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल प्रशिक्षण से लेकर सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के 26 जिलों में अब तक 18,330 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस पर करीब 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सरकार ने आगे 35 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य में करीब 9 हजार रिव्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्लास-3 और क्लास-4 की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है। वहीं सीजी-एसीई के तहत नीट, कटेट, जेईई, यूपीएससी, सीजीपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की योजना है, जिसके लिए 33 करोड़ रुपए रखे गए हैं।



**प्रधान कार्यालय :** एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013  
**क्षेत्रीय कार्यालय :** एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, बी-विंग चौथी मंजिल, डॉन मिल्स कंपाउंड, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400 013

**अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना**

**ईएमडी एवं दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि: नीचे दी गई तालिका में बताई गई है**

सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (नंबर 54 का 2002) के तहत बैंक के पास गिरी रखी गई अचल संपत्तियों की बिक्री जबकि, **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी ने सिक्वोरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस और **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर, छत्तीसगढ़** के आदेश के अनुसार, माल जमादार, **तहसीलदार कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़**, के माध्यम से, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 के साथ दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित लोन खातों में निम्नलिखित संपत्ति / संपत्तियों पर **भौतिक कब्जा** कर लिया है, और उसे **‘जैसा है, जहाँ है, जैसा है वैसा ही, जो कुछ भी है और बिना किसी शर्त के’** आधार पर बेचने का अधिकार है, ताकि बैंक के बकाया और ब्याज की वसूली की जा सके, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, और जबकि बकाया चुकाने में विफलता के कारण, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 के साथ दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, उक्त संपत्ति / संपत्तियों को बेचकर बैंक के बकाया की वसूली करने का प्रस्ताव दिया है। बिक्री नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइट पर दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

**अचल संपत्तियों का विवरण**

| शाखा एवं खाता का नाम                                                                                                       | संपत्ति के बंधकर्ता एवं जमानतदारों के नाम                      | सभी बंधक संपत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मांग सूचना के अनुसार राशि<br>मांग सूचना दिनांक                                                                                                                 | निरिक्षण की तिथि एवं समय                                  | आरक्षित मूल्य<br>ईएमडी<br>बोली बढ़ाने की राशि                               | ई-नीलामी की तिथि/समय                                                                     | बोली प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>एचडीएफसी बैंक लि. एवं खाता मेसर्स ए सी स्टील्स</b>                                                                      | <b>श्री राजेन्द्र सुराना</b><br><br><b>मेसर्स ए सी स्टील्स</b> | डायवर्टेड इंडस्ट्रीयल भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.542 हेक्टेयर, जो खसरा नंबर 113/4, वार्ड नंबर 19, माधवराव सग्रे वार्ड, पटवारी हल्का नंबर 108/38/40, उरकगु, आरआईसी रायपुर 1, तहसील एवं जिला रायपुर में स्थित।<br><br>102980 वर्ग फीट का लीजहोल्ड औद्योगिक भूखंड और उस पर बनी इमारत, साथ ही फर्म की सभी स्थायी संपत्तियाँ, प्लांट एवं मशीनरी और समस्त चालू संपत्तियाँ, जिनमें अन्य चीजों के अलावा, कच्चे माल का स्टॉक, निर्माणाधीन कार्य, तैयार माल, प्राप्तिर्ग, बही-खाते और अन्य चालू संपत्तियाँ शामिल हैं, जो प्लांट नं. 69, प्लांट नं. 70 और प्लांट नं. 71 एवं 72 पर स्थित बिलांब औद्योगिक क्षेत्र, उर्ला, आरआईसी रायपुर 1, तहसील एवं जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ | <b>रु. 25,27,36,354/-</b><br>31-05-2024 तक की बकाया रकम, साथ ही 01.06.2024 से पूर्व एवं अंतिम भुगतान की तिथि तक कैंश क्रेडिट एवं लोन अकाउंट्स पर अतिरिक्त सहित | <b>30/09/2026</b><br><br>सुबह 10:00 बजे दोप. 02:00 बजे तक | <b>Rs. 4,08,00,000/-</b><br><b>Rs. 40,80,000/-</b><br><b>Rs. 1,00,000/-</b> | <b>15/10/2026</b> प्रातः 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 5 मिनट के अनलिमिटेड एक्सटेंशन के साथ | <b>12/10/2026</b><br><br>सायं 4:00 बजे तक |
| <b>जमानतदार</b><br>1. श्री राजेन्द्र सुराना,<br>2. श्री राहुल सुराना,<br>3. श्री श्रेयांश सुराना,<br>4. श्रीमती संतोष देवी |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>मांग सूचना दिनांक 05-06-2024</b>                                                                                                                            |                                                           | <b>Rs.11,17,00,000/-</b><br><b>Rs.1,11,70,000/-</b><br><b>Rs.1,00,000/-</b> | <b>15/10/2026</b> दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 5 मिनट के अनलिमिटेड एक्सटेंशन के साथ   |                                           |



**दैनिक भास्कर**  
सच्ची बात, वेबदुद्ध

**शोक संदेश, पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि रेट कार्ड**

W.E.F. FROM 01 JANUARY, 2026

**SHOK**

**NIJI WITH PHOTO (Run on Word)**

|               | RAIPUR CITY | 1000  |
|---------------|-------------|-------|
| RAIPUR EDITON | 4200        | 15500 |
| ALL C.G.      |             | 19500 |

**EDITION**

|               | 6X4CM | 8X8CM | 10X8CM | 12X8CM | 15X12CM | 20X12 CM |
|---------------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|
| RAIPUR CITY   | 3600  | 11000 | 15000  | 17000  | 28500   | 33000    |
| RAIPUR EDITON | 4200  | 15500 | 22000  | 26500  | 40000   | 48000    |
| ALL C.G.      |       | 19500 | 30000  | 35000  | 50000   | 57000    |

**PUNYATITHI**

**EDITION**

|               | 6X4CM | 8X8CM | 10X8CM | 12X8CM | 15X12CM | 20X12 CM |
|---------------|-------|-------|--------|--------|---------|----------|
| RAIPUR CITY   | 3500  | 11000 | 16000  | 18500  | 24000   | 29500    |
| RAIPUR EDITON | 4200  | 16600 | 24800  | 28000  | 31700   | 39700    |
| ALL C.G.      |       | 27000 | 33900  | 36500  | 39700   | 47500    |

<